राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 606/2025

नरेन्द्र शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव, कृषि, वानिकी एवं पंचायती राज (कृषि) विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.03.2025
आदेश की दिनांक : 25.03.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री कृष्णपाल सिंह भाटी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : चेतन राम देवडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलौच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–2) आदेश दिनांक 17.01.2025 (अनुलग्नक–4) एवं आदेश दिनांक 12.03.2025 (अनुलग्नक–5) को चुनौती दी गई है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग में अधिशाषी अभियन्ता के पद पर कार्यरत है। आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण पंचायत समिति, जालौर से पंचायत समिति, पाली में जयमल सिंह इन्दोलिया के स्थान पर किया गया है। इसी आदेश में अन्य श्री भैरूसिंह राजपुरोहित का स्थानान्तरण भी जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण पंचायत समिति, सांचौर से पंचायत समिति, पाली में जयमल सिंह इन्दोलिया के स्थान पर किया गया है। श्री भैरूसिंह राजपुरोहित द्वारा पंचायत समिति, पाली में अपीलार्थी से पहले कार्यग्रहण कर लिये जाने के आधार पर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं पदेन परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, जिला पाली द्वारा अपीलार्थी को आयुक्तालय, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण,

राजस्थान जयपुर में उपस्थिति देने हेतु आदेश दिनांक 17.01.2025 (अनुलग्नक–4) द्वारा निर्देशित किया गया है। जिसकी पालना में अपीलार्थी द्वारा आयुक्तालय, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, जयपुर में अपनी उपस्थिति प्रदान करदी गई। आदेश दिनांक 12.03.2025 (अनुलग्नक–5) द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में होने के कारण जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण बयाना जिला भरतपुर में पदस्थापन किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग ने आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 द्वारा पंचायत समिति, पाली में एक ही पद पर 2 अधिशाषी अभियन्ताओं का पदस्थान बिना विवेक का प्रयोग करते हुए किया गया है और आदेश दिनांक 14.01.2025 असक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है। उन्होने यह भी निवेदन किया है कि पंचायत समिति जालौर में पद रिक्त है अतः उन्हें यथावत वहीं कार्य करते रहने दिया जावे।

3. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर हम यह पाते हैं कि आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 और आदेश दिनांक 17.01.2025 के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा आयुक्तालय, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, जयपुर में कार्यग्रहण किये जाने के पश्चात् आदेश दिनांक 12.03.2025 द्वारा अपीलार्थी का नवीन पदस्थापन आदेश जारी किया जा चुका है, अतः आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं दिनांक 17.01.2025 वर्तमान में प्रभावहीन हो चुके हैं। अपीलार्थी को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में होने के आधार पर आदेश दिनांक 12.03.2025 द्वारा नवीन पदस्थापन किया जा चुका है। किसी भी लोक सेवक को लम्बे समय तक पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में नहीं रखा जा सकता, अतः हम आलौच्य आदेश दिनांक 12.03.2025 जारी करने में कोई दुर्भावना अथवा नियम विरूद्धता नहीं पाते हैं। अपीलार्थी अपने पदस्थापन परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। अधिकरण किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन करने हेतु निर्देश जारी नहीं कर सकता।

4. अतः अपील अपीलार्थी बलहीन, सारहीन होने के कारण इसी प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य